

समस्तीपुर जिला



सत्यमेव जयते

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
दुकानों की बिक्री अधिसूचना

वर्ष : 2015—16

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015-16 (1ली अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक)
(देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोवस्ती दिनांक 14.03.2015 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10.00 बजे दिन से समाहरणालय, सभाकक्ष में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बन्दोवस्ती की जायेगी।
2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बन्दोवस्ती निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्तों से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बन्दोवस्ती में भाग ले सकता है।
3. लॉटरी द्वारा बन्दोवस्त होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बन्दोवस्ती की जायेगी।
- 4.(क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बन्दोवस्त किया जायेगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बन्दोवस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लॉटरी द्वारा बन्दोवस्त किया जायेगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जायेगा जिसमें, लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानें भी रहेंगी।
दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लॉटरी द्वारा निकाला जायेगा। लॉटरी द्वारा निकाले गये प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बन्दोवस्ती की जायेगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बन्दोवस्त नहीं हो सके या बन्दोवस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लॉटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरान्त तीसरे लॉटरी विजेता के साथ बन्दोवस्ती की जायेगी।

यदि लॉटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बन्दोवस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बन्दोवस्ती लेने से निरर्हित हो जायेगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बन्दोवस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बन्दोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जायेगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बन्दोवस्ती की कार्रवाई की जायेगी।

5. इस बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्तें मानी जायेगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्ता के कार्यालय/विभाग के वेबसाइट www.excise-bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

6.(क) लॉटरी द्वारा बन्दोवस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रैल 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बन्दोवस्ती अगर वर्ष 2015-16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बन्दोवस्ती की तिथि से 31 मार्च 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्तों पर की जा सकती है, परन्तु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7.(क) लॉटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान-प्रमाण (आइडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता परिचय-पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या एवं ड्राइविंग लाईसेंस में से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान-पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, जल/टेलिफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टैंटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लॉटरी प्रणाली द्वारा बन्दोवस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की बन्दोवस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है। वशर्त सभी दुकानों एवं समुह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा, उस पर

विभाग द्वारा निर्धारित अलग-अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जायेगी। परन्तु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बन्दोवस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बन्दोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जायेगा।

- (ख) लॉटरी द्वारा बन्दोवस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंशियल जोन एवं लो पोटेंशियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर "हाई पोटेंशियल जोन" के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किये गये आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेंशियल तथा लो पोटेंशियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रु0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रु0 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद् के लिए	रु0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रु0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रु0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रु0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निर्धारित दर पर ही जमा करायी जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान या आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जायगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतये होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बन्दोवस्ती में किसी भी आवेदक के विरुद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा :-

- (क) अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,
- (ख) वह सरकारी बकायेदार हो।
- (ग) आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।
- (घ) अगर वह दिवालिया (इंसोल्वेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (i) उस पर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है।
 - (ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है
 - (iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है।
 - (iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की करावास-अवधि का सजायपत्ता नहीं है ; और
 - (v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन-जिन जिलों में पूर्व में वह लाईसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिंग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिंग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।
9. बन्दोवस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बन्दोवस्ती के दिन को छोड़कर पाँच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :
- (क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते हैं, उसके लिए अलग-अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा,
 - (ख) शपथ पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार),

- (ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रुफ) से संबंधित वांछित कागजात।
10. कर्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बन्दोवस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।
11. दुकानों की बन्दोवस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।
12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ-पत्र के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
13. (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बन्दोवस्त नहीं हो सके, तो समाहर्ता पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परन्तु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (ख) बन्दोवस्ती सर्वप्रथम वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारम्भ की जायेगी, जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।
- 14 (क) बन्दोवस्ती के तुरन्त बाद बन्दोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा। बन्दोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्सड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में बन्दोवस्ती के तुरन्त बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 रहेगी।
- (ख) बन्दोवस्तदार/अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 12वाँ भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परन्तु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के कम संख्या दो के अभ्यर्थी के साथ

अथवा अभ्यर्थी संख्या-2 को दुकान लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बन्दोवस्त कर दी जायेगी।

(ग) खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बन्दोवस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञप्ति के साथ-साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अन्तर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जप्त कर ली जा सकेगी।

15.(क) जहाँ बन्दोवस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहाँ अनुज्ञप्ति फीस कुल वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का बारहवाँ भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहाँ बन्दोवस्ती साल के बीच में होगी वहाँ समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बन्दोवस्त की जायेगी। अगर बन्दोवस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस के साथ-साथ जिस माह से अनुज्ञप्ति दी गयी है, उस माह की अनुज्ञप्ति फीस भी जमा करने के बाद बन्दोवस्तदार के पक्ष में अनुज्ञप्ति तुरन्त निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्योरा अनुज्ञप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।

16.(क) कंडिका 15 (ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जबाबदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बन्दोवस्ती के बाद दस दिनों के अन्दर, आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्ता को आवेदन देंगे। समाहर्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर समाहर्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बन्दोवस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश-द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहदी में स्थित भूमि-भवन/खाली स्थानों का Still

Photograph, जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

- (ख) बन्दोवस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अन्दर अपने स्थायी लेखा संख्या (PAN) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ग) ग्रामीण क्षेत्र के कम्पोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जायेगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जायेगी।
17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में विलम्ब के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा, तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।
18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्षद लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है।
- 19.(क) बिक्री अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के ऊपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छुट होगी, परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी ऊपर उठाव करने पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा, परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रैल में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बन्दोवस्तदार अपनी अनुज्ञप्ति परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" बिक्री की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अन्तर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।
- (ग) "ऑन" बिक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा। जो समाहर्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

- (घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।
- (ङ) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/सैसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।
20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।
21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और न ही अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
- 22.(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर मुख्य दरवाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनायें स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा—
- (i) दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि,
 - (ii) अनुज्ञाधारी का नाम
 - (iii) दुकान के अधिकृत विक्रेता का नाम
 - (iv) सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य
- (ख) बन्दोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4085, दिनांक 31.12.2010 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'×2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।
- (ग) बन्दोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस-पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और न ही किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।
- (घ) बन्दोवस्तधारी, निगम के डीपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।
- 23.(क) बन्दोवस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा बनाये गये हैं, या समय-समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम पदाधिकारी से समय-समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।
- (ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।
24. राज्य सरकार अपनी बन्दोवस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

समाहर्ता,
समस्तीपुर।

जाएगा।
18/02/18
समाहर्ता
समस्तीपुर।

1. ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ නම සහ සේවා ක්ෂේත්‍රය
2. ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ සේවා ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කළ කාලය

समूह क्रमांक	दुकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दुकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रूपयें में)	आवेदन शुल्क (रूपयें में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	देशी-4	समस्तीपुर-4 (मोहनपुर रोड)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।			5000	450000.00	4000.00	1. इस प्रकार 10 लाख 50 हजार 500 रु के लिए 10 रु का शुल्क है 2. एक एक लाख के हरेक नाम के लिए 10 रु का शुल्क है
		तेतारपुर		1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
	कम्पोजिट-49	करीमनगर							
		मोहउद्दीननगर दक्षिण							
	कम्पोजिट-50	मोहउद्दीननगर उत्तर	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		हरैल							
		कुरसाहा							
		समूह योग		2400	2970	7600	1073700.00	8000.00	
5	देशी-5	समस्तीपुर-5 (मोहनपुर)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।			5000	450000.00	4000.00	
		भागतवतपुर							
	कम्पोजिट-91	नौआचक		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		हरपुर बरहेता							
	कम्पोजिट-103	अंगार	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		चैता उत्तरी							
		चैता दक्षिणी							
		समूह योग		2200	2970	7600	1043700.00	8000.00	
6	देशी-6	समस्तीपुर-6 (मथुरापुर-अकबरपुर)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।			5000	450000.00	4000.00	
	देशी-21	खानपुर (प्रो मु0)				2750	247500.00	3000.00	
		वासुदेवपुर		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
	कम्पोजिट-25	गोविन्दपुर खजुरिया							
		समूह योग		1100	1485	9050	994350.00	9000.00	

समूह क्रमांक	दुकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दुकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रूपयें में)	आवेदन शुल्क (रूपयें में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	देशी-7	समस्तीपुर-7 (धर्मपुर-पूसा रोड)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।			5000	450000.00	4000.00	1. यह प्रकाश 12 घण्टे से अधिक के लिए है। 2. एक एक घंटा के घंटे नाम से एक एक घंटा के लिए करे
	कम्पोजिट-7	विशनपुर		1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
	कम्पोजिट-10	हकिमाबाद							
		डरसूर		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		वसंतपुर रमणी							
8	देशी-8	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2400	2970	7600	1073700.00	8000.00	
	कम्पोजिट-3	समस्तीपुर-8 (दुधपुरा-ताजपुर रोड)				5000	450000.00	4000.00	
		शम्भूपट्टी		1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
	कम्पोजिट-107	नीरपुर							
		कर्पूरीग्राम							
9		आधारपुर	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		बाघी							
		फतेहपुरवाला							
	देशी-9	समूह योग		2400	2970	7600	1073700.00	8000.00	
	कम्पोजिट-30	रोसड़ा-1 (न0 पं0)				3600	324000.00	3000.00	
		नत्थुद्वार	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	950	1485	1300	274350.00	2000.00	
		सिवैसिंगपुर							
	कम्पोजिट-81	विशनपुर आमी		1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
		नरहन	समूह योग						
		महंथी द0		2250	2970	6200	925200.00	7000.00	

समूह क्रमांक	दुकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दुकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रुपयें में)	आवेदन शुल्क (रुपयें में)	अभिव्यक्ति
1	2	3	4	विदेशी शराब L.P.L. में	वीयर B.L. में	देशी शराब/मोदेशी L.P.L. में	8	9	10
10	देशी-10	रोसड़ा-2 (न० पं०)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।			3600	324000.00	3000.00	1. यह प्रकाश 15 दिनों में प्रकाशित होना चाहिए। 2. प्रकाश 15 दिनों में प्रकाशित होना चाहिए।
	देशी-11	रोसड़ा-3 (न० पं०)				3600	324000.00	3000.00	
	कम्पोजिट-56	भिरहा दक्षिण		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		मो०नगर पूरब							
11	देशी-12 देशी-13 कम्पोजिट-62	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1100	1485	8500	944850.00	8000.00	
		रोसड़ा-4 (न० पं०)				3600	324000.00	3000.00	
		रोसड़ा-5 (न० पं०)				3600	324000.00	3000.00	
		देवधा							
		दुधपुरा		1500	1485	1300	356850.00	2000.00	
12	देशी-14 कम्पोजिट-38 कम्पोजिट-97	फुलहारा, मंगलगढ़	अपने निर्धारित क्षेत्र में।						
		समूह योग		1500	1485	8500	1004850.00	8000.00	
		दलसिंहसराय-1 (न० पं०)				4000	360000.00	3000.00	
		हरिशंकरपुर							
		केवटा		1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
		नगरगामा	अपने निर्धारित क्षेत्र में।						
		चाँदचौर पंश्चिमी		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		परोरिया							
		समूह योग		2400	2970	6600	983700.00	7000.00	

समूह क्रमांक	दूकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दूकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रुपयें में)	आवेदन शुल्क (रुपयें में)	अभियोगित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	देशी-15	दलसिंहसराय-2 (नं० पं०)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।			4000	360000.00	3000.00	1. यह प्रकाश 12 मीटर 12 फीट के क्षेत्र में 2. एक एक घर के क्षेत्र नाम के निर्धारित क्षेत्र के क्षेत्र में
	कम्पोजिट-95	गौवपुर		1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
		मालती							
		बेलारी							
	कम्पोजिट-96	पतौली पूर्वी							
पतौली पश्चिमी									
		हरपुर रेवाड़ी		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
14	देशी-16	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2400	2970	6600	983700.00	7000.00	
	कम्पोजिट-85	दलसिंहसराय-3 (नं० पं०)				4000	360000.00	3000.00	
		दहियार रन्ना		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		परसा							
	कम्पोजिट-87	रहियार उत्तर							
रहियार दक्षिण		1100	1485	1300	296850.00	2000.00			
		धर्मपुर जाखड़		2200	2970	6600	953700.00	7000.00	
15	देशी-17	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।			4000	360000.00	3000.00	
	कम्पोजिट-41	दलसिंहसराय-4 (नं० पं०)				1300	296850.00	2000.00	
		मालपुर							
		बुलाकीपुर							
	कम्पोजिट-98	बेलामेघ							
बैकुण्ठपुर ब्रह्मण्डा		1300	1485	1300	326850.00	2000.00			
		मुख्तियारपुर सलखनी		2400	2970	6600	983700.00	7000.00	

समूह क्रमांक	दुकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दुकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा				मासिक अनुज्ञा शुल्क (रूपयें में)	आवेदन शुल्क (रूपयें में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	विदेशी-1	समस्तीपुर-1 (सोनवर्षा चौक)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2400	7018		430180.00	4000.00		
	कम्पोजिट-99	चौदचौर करिहारा		1800	1485	1300	401850.00	2000.00		
		भगवानपुर कमला सातनपुर								
17	विदेशी-2	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	4200	8503	1300	832030.00	6000.00		
	कम्पोजिट-75	समस्तीपुर-2 (न0प0) (मोहनपुर रोड)		2400	7018		430180.00	4000.00		
		खास टम्का खास टम्का द0 चोरा टम्का		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
18	विदेशी-3	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	3500	8503	1300	727030.00	6000.00		
	कम्पोजिट-40	समस्तीपुर-3 (न0प0)		2400	7018		430180.00	4000.00		
		बषदिया कैमरान डुमरी उत्तरी डुमरी दक्षिण		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
19	विदेशी-4	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	4600	9988	2600	1023880.00	8000.00		
	कम्पोजिट-37	समस्तीपुर-4 (न0प0)		2400	7018		430180.00	4000.00		
		सुलतानपुर घटहो चकवहाउद्दीन		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
20	विदेशी-5	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	3500	8503	1300	727030.00	6000.00		
	कम्पोजिट-5	समस्तीपुर-5 (न0प0)		2400	7018		430180.00	4000.00		
		हरपुर एलौथ बेझाडीह		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
		समूह योग		3500	8503	1300	727030.00	6000.00		

1. इस प्रकाशित प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रदान की गई जानकारी केवल सूचना के लिए है।
2. प्रत्येक प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रदान की गई जानकारी केवल सूचना के लिए है।

समूह क्रमांक	दुकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दुकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा				मासिक अनुज्ञा शुल्क (रुपयें में)	आवेदन शुल्क (रुपयें में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	विदेशी-6	समस्तीपुर-6 (न0प0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2400	7018		430180.00	4000.00		
	कम्पोजिट-4	विक्रमपुर बान्दे		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
		रहीमपुर रुदौली								
	कम्पोजिट-88	गंगापुर लाटवसेपुरा		950	1485	1300	274350.00	2000.00		
22	विदेशी-7	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	4450	9988	2600	1001380.00	8000.00		
	कम्पोजिट-33	समस्तीपुर-7 (न0प0)		2400	7018		430180.00	4000.00		
		टहरा		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
		मोरसंड								
23	विदेशी-8	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	3500	8503	1300	727030.00	6000.00		
	कम्पोजिट-18	समस्तीपुर-8 (न0प0)		2400	7018		430180.00	4000.00		
		मधुरापुर		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
		जितवरिया								
24	विदेशी-9	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	3500	8503	1300	727030.00	6000.00		
	कम्पोजिट-11	समस्तीपुर-9 (न0प0)		2400	7018		430180.00	4000.00		
		रामपुर किसुन		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
		मोहिउद्दीनपुर								
25	विदेशी-10	समूह योग	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	3500	8503	1300	727030.00	6000.00		
	कम्पोजिट-31	समस्तीपुर-10 (न0प0)		2400	7018		430180.00	4000.00		
		शादीपुर		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
		हसनपुर								
		समूह योग		3500	8503	1300	727030.00	6000.00		

1. यह प्रकाशित आदेश 15 नवंबर 2018 को जारी किया गया है।
2. प्रत्येक एक बार के लिए प्रकाशित आदेश 15 नवंबर 2018 को जारी किया गया है।

समूह क्रमांक	दुकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दुकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा				मासिक अनुज्ञा शुल्क (रुपयें में)	आवेदन शुल्क (रुपयें में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	विदेशी-11	समस्तीपुर-11 (न0प0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2400	7018		430180.00	4000.00		
	कम्पोजिट-119	इन्द्रवारा गुनाई बसही		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
		समूह योग		3500	8503	1300	727030.00	6000.00		
	विदेशी-12	समस्तीपुर-12 (न0प0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2400	7018		430180.00	4000.00		
27	कम्पोजिट-73	कैराइ चकहवीव		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
		भगवानपुर देसुआ								
	कम्पोजिट-102	जड़िया मुरियारी विरनामा तुला		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
		समूह योग		4600	9988	2600	1023880.00	8000.00		
28	विदेशी-13	समस्तीपुर-13 (न0प0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2400	7018		430180.00	4000.00		
	कम्पोजिट-9	धुरलख घनहर		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
		दक्षिणी धमौन उत्तरी धमौन								
	कम्पोजिट-109	इनायत पुर		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
		समूह योग		4600	9988	2600	1023880.00	8000.00		
29	विदेशी-14	समस्तीपुर-14 (न0प0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2400	7018		430180.00	4000.00		
		गोराई								
		हजपुरवा सोमनाहा		1100	1485	1300	296850.00	2000.00		
	कम्पोजिट-17									
		समूह योग		3500	8503	1300	727030.00	6000.00		

1. यह प्रकाशित आदेशों में निर्धारित शुल्क के अभाव में
प्रत्येक एक प्रार्थना के अभाव में प्रत्येक एक प्रार्थना के अभाव में

समूह क्रमांक	दुकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दुकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रूपयें में)	आवेदन शुल्क (रूपयें में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	विदेशी-15	समस्तीपुर-15 (न0प0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2400	7018		430180.00	4000.00	1. यह एकलक है। बाजार में एकलक के फल के प्रयोग के लिए एक बाजार के द्वारा नामांकित एक एकलक के प्रयोग के लिए
	कम्पोजिट-24	गोपालपुर वीरसिंहपुर		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		समूह योग		3500	8503	1300	727030.00	6000.00	
31	विदेशी-16	समस्तीपुर-16 (न0प0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2400	7018		430180.00	4000.00	
	कम्पोजिट-89	विश्वम्भरपुर एलौथ (मुसरीधरारी) रूपौली बुजुर्ग बखरी बुजुर्ग बथुआ बुजुर्ग बरबट्टी		1800	1485	1300	401850.00	2000.00	
	कम्पोजिट-90			1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
32		समूह योग		5300	9988	2600	1128880.00	8000.00	
	विदेशी-17	समस्तीपुर-17 (मथुरापुर)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	3300	7018		565180.00	4000.00	
		समूह योग		3300	7018	0	565180.00	4000.00	
33	विदेशी-18	समस्तीपुर-18 (मथुरापुर)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	3300	7019		565190.00	4000.00	
		समूह योग		3300	7019	0	565190.00	4000.00	
	विदेशी-19	रोसड़ा-1 (न0 पं0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1610	5140		292900.00	3000.00	
34	विदेशी-20	रोसड़ा-2 (न0 पं0)		1610	5140		292900.00	3000.00	
		ठाहर बसाढ़िया मोतीपुर जहाँगीरपुर उ0		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
	कम्पोजिट-52	समूह योग		4320	11765	1300	882650.00	8000.00	

समूह क्रमांक	दूकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दूकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रुपयें में)	आवेदन शुल्क (रुपयें में)	अभियक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	विदेशी-21	रोसड़ा-3 (न० पं०)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1610	5140		292900.00	3000.00	
	विदेशी-22	रोसड़ा-4 (न० पं०)		1610	5140		292900.00	3000.00	
	कम्पोजिट-55	सोनपुर उत्तर सोनपुर दक्षिण हरिपुर		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
36	विदेशी-23	समूह योग रोसड़ा-5 (न० पं०)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	4320	11765	1300	882650.00	8000.00	
	विदेशी-24	रोसड़ा-6 (न० पं०)		1610	5140		292900.00	3000.00	
	कम्पोजिट-54	भिरहा पूं भिरहा पश्चिम भरवारी		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
37	विदेशी-25	समूह योग दलसिंहसराय-1 (न० पं०)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	4320	11765	1300	882650.00	8000.00	
	विदेशी-26	दलसिंहसराय-2 (न० पं०)		2479	5140		423250.00	3000.00	
	कम्पोजिट-39	पगड़ा पाड़		2479	5140		423250.00	3000.00	
38	विदेशी-27	समूह योग दलसिंहसराय-3 (न० पं०)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
	कम्पोजिट-42	उजौल बम्बैया हरलाल		6058	11765	1300	1143350.00	8000.00	
				2479	5140		423250.00	3000.00	
		समूह योग		950	1485	1300	274350.00	2000.00	
				3429	6625	1300	697600.00	5000.00	

1. इस प्रकाशित सूची में दूकानों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में दूकानों के आवेदन शुल्क 2000.00 रुपये हैं।
2. दूकानों के आवेदन शुल्क 2000.00 रुपये हैं।

समूह क्रमांक	दूकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दूकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रूपयें में)	आवेदन शुल्क (रूपयें में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	विदेशी शराब L.P.L. में	वीयर B.L. में	देशी शराब / म0देशी L.P.L. में	8	9	10
39	विदेशी-28	दलसिंहसराय-4 (न0 पं0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2479	5140		423250.00	3000.00	
	कम्पोजिट-100	चौदचौर मध्य		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		नाजिरपुर							
			चौदचौर पूर्वी						
40		समूह योग		3579	6625	1300	720100.00	5000.00	
	देशी-18	पूसा-1 (प्र0 मु0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।			2750	247500.00	3000.00	
	विदेशी-29	पूसा-1 (प्र0 मु0)		2375	4095		397200.00	3000.00	
	कम्पोजिट-32	घोवगामा		950	1485	1300	274350.00	2000.00	
41		समूह योग		3325	5580	4050	919050.00	8000.00	
	देशी-19	पूसा-2 (प्र0 मु0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।			2750	247500.00	3000.00	
	विदेशी-30	पूसा-2 (प्र0 मु0)		2375	4095		397200.00	3000.00	
	कम्पोजिट-16	मालीनगर		1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
42		समूह योग		3675	5580	4050	971550.00	8000.00	
	देशी-28	विभूतिपुर (प्र0 मु0)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।			2750	247500.00	3000.00	
	विदेशी-38	विभूतिपुर (प्र0 मु0)		2200	4095		370950.00	3000.00	
	कम्पोजिट-79	सिंधिया बुजुर्ग र0		1500	1485	1300	356850.00	2000.00	
		बेलसंडी तारा							
		भरपुरा पटवारा							
		समूह योग		3700	5580	4050	975300.00	8000.00	

समूह क्रमांक	दूकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दूकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रूपयें में)	आवेदन शुल्क (रूपयें में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	विदेशी-37	हसनपुर (प्र० मु०)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2700	4095		445950.00	3000.00	१५ एकड़ १५ बाँटन १५ एकड़ के कुल ४५ एकड़ का १२६ एकड़ बाँटन के ३२२ एकड़ १५ एकड़ के कुल ४७२ एकड़
	कम्पोजिट-53	जहाँगीरपुर द० रहुआ		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
	कम्पोजिट-65	देवरा		1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
		सकरपूरा		5100	7065	2600	1069650.00	7000.00	
63	विदेशी-44	मोहनपुर (प्र० मु०)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2000	4095		340950.00	3000.00	
	कम्पोजिट-74	कल्याणपुर उ० कल्याणपुर द०		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
	कम्पोजिट-78	महंथी उत्तर सिंधिया बुजुर्ग द०		1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
		आलमपुर कोदरिया		4400	7065	2600	964650.00	7000.00	
64	विदेशी-39	विथान (प्र० मु०)	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1600	4095		280950.00	3000.00	
	कम्पोजिट-69	सलहा बुजुर्ग जगमोहरा		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
	कम्पोजिट-71	सोहमा उजान		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		भरथुआ		3800	7065	2600	874650.00	7000.00	

समूह क्रमांक	दूकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दूकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रुपयें में)	आवेदन शुल्क (रुपयें में)	अभिगृहीत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				विदेशी शराब L.P.L. में	वीयर B.L. में	देशी शराब/ म0देशी L.P.L. में			
71	कम्पोजिट-76	सुहौली	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1100	1485	1300	296850.00	2000.00	10
		गंगौली मंदा							
		साखमोहन							
	कम्पोजिट-77	देसरी करेख		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		पतौलिया							
		भूसवर							
	कम्पोजिट-115	विशानपुर बेडी		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
72	कम्पोजिट-93	राजपुर	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1100	1485	1300	296850.00	2000.00	10
		दशहरा							
		समूह योग		3300	4455	3900	890550.00	6000.00	
		किसनपुर यूसुफ							
		रायपुर बुजुर्ग		1350	1485	1300	334350.00	2000.00	
	कम्पोजिट-112	गंगसारा							
		हेतनपुर		950	1485	1300	274350.00	2000.00	
73	कम्पोजिट-1	हरपुर सैदाबाद	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2300	2970	2600	608700.00	4000.00	10
		समूह योग							
		पुनास							
		वाजितपुर		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		रूपनारायणपुर बेला							
	कम्पोजिट-2	सिंधिया खूर्द		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		पोखरेड़ा							
		चकनूर		2200	2970	2600	593700.00	4000.00	

समूह क्रमांक	दुकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दुकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रुपयें में)	आवेदन शुल्क (रुपयें में)	अभिव्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	कम्पोजिट-46	बंगराहा	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	950	1485	1300	274350.00	2000.00	1. यह एकल लाल रंग का क्षेत्र है जिसके लिए एक बार के लिए नामांकन शुल्क 4000 रु. है।
		सिमरी							
	कम्पोजिट-47	मउ धनेशपुर उ०		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		मउ धनेशपुर द०							
		शेरपुर देपुरा							
		समूह योग		2050	2970	2600	571200.00	4000.00	
75	कम्पोजिट-61	कुण्डल-1	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		कुण्डल-2							
	कम्पोजिट-63	औरा		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		नथुनी							
		समूह योग		2200	2970	2600	593700.00	4000.00	
76	कम्पोजिट-66	बड़गौव	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
		शासन							
	कम्पोजिट-67	अहिलवार		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		मौजी							
		सुरहा वसन्तपुर							
		समूह योग		2400	2970	2600	623700.00	4000.00	

समूह क्रमांक	दुकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दुकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रुपयें में)	आवेदन शुल्क (रुपयें में)	अभियक्ति
1	2	3	4	विदेशी शराब L.P.L. में	वीयर B.L. में	देशी शराब/ म0देशी L.P.L. में	8	9	10
77	कम्पोजिट-116	सोंगर	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1300	1485	1300	326850.00	2000.00	1. इस प्रकार के आवेदन के माफ़ में केवल एक बार के लिए नामांकन शुल्क देना होगा। 2. इस प्रकार के आवेदन के माफ़ में केवल एक बार के लिए नामांकन शुल्क देना होगा।
		निकसपुर							
	कम्पोजिट-117	रामपुर गहेशपुर							
		वनवीरा		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
78	कम्पोजिट-19	चकमेहसी	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	2400	2970	2600	623700.00	4000.00	
		नामापुर		1500	1485	1300	356850.00	2000.00	
	कम्पोजिट-51	रासपुर पतसिया		1500	1485	1300	356850.00	2000.00	
		बोचाहा		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
80	कम्पोजिट-80	महमदीपुर	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		मुस्तफापुर							
	कम्पोजिट-80	मोहम्मदपुर सकरा		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		टमका							
		समूह योग		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	

समूह क्रमांक	दुकानों का प्रकार एवं क्रमांक	दुकान का नाम	अवस्थिति	निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			मासिक अनुज्ञा शुल्क (रुपयें में)	आवेदन शुल्क (रुपयें में)	अभियक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				विदेशी शराब L.P.L. में	वीयर B.L. में	देशी शराब/ म0देशी L.P.L. में			
81	कम्पोजिट-86	धिवाही दसौत	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
		समूह योग		1100	1485	1300	296850.00	2000.00	
82	कम्पोजिट-104	मुरादपुर बंगरा रजवा गौसपुर सरसौना	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	950	1485	1300	274350.00	2000.00	
		समूह योग		950	1485	1300	274350.00	2000.00	
83	कम्पोजिट-114	बघड़ा जलालपुर	अपने निर्धारित क्षेत्र में।	1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
		समूह योग		1300	1485	1300	326850.00	2000.00	
		कुल समूह का योग		249075	439310	288696	67736990.00	526000.00	


 समाहर्ता
 समस्तीपुर